कार्यालय निर्वाचन पदाधिकारी

स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि0,

जे0 सी0 रोड, पटना

(मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटीज एक्ट, 2002 की धारा–103 (1) के तहत डीम्ड निबंधित)

पत्रांक - SBICoop/election/2019 दिनांक. 30/08/2019.

.

स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि0,
की प्रबंधकारणी समिति के सदस्य पद पर

<u>नामांकन संबंधी अनुदेश</u>

(प्रबंधकारणी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2019 में पारित प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा यथानुमोदित)

1. <u>**उम्मीदवार का नामांकन**</u>–

क) चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन **मल्टी** स्टेट को–ऑपरेटिव सोसायटीज नियमावली, 2002 के नियम –19 (2) के साथ संलग्न अनुसूची की पारा 3 (a) में विहित प्रपत्र III में किया जाएगा, जिसे किसी भी सदस्य को चुनाव अधिकारी या उसकी ओर से अधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा आवेदन पर निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी।

ख) प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर उम्मीदवार के अतिरिक्त उन दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिनका सदस्यों की सूची में नाम शामिल है। इनमें से एक सदस्य प्रस्तावक (प्रोपोजर) के रूप में एवं दूसरा सदस्य नामांकन के समर्थक (सेकंडर) के रूप में फार्म पर हस्ताक्षर करेगा। नामांकन दस्तावेज के अन्त में एक घोषणा पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसमें वह घोषित करेगा कि वह चुनाव में भाग लेने के लिए सहमत है।

ग) प्रत्येक नामांकन दस्तावेज निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करना होगा। (जो भी सदस्य अपना नामांकन पत्र प्रतिनिधि के द्वारा भेजेंगे, उन्हें तब तक स्वीकृत नहीं माना जायेगा, जबतक वे समिति के मेल पर अपने व्यक्तिगत मेल या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के व्हाट्सएप पर व्यक्तिगत फ़ोन द्वारा पुष्टि नहीं करेंगें।)निर्वाचन अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो नामांकन पत्र प्राप्त करेगा, वह नामांकन दस्तावेज पर इसकी क्रम संख्या का उल्लेख करेगा और उस तिथि व समय का भी उल्लेख करेगा, जब नामांकन दस्तावेज प्राप्त किया गया तथा व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज जमा कराने की स्थिति में तुरंत एक लिखित पावती देगा जिस पर निर्वाचन

श्याम

पदाधिकारी की मुहर भी लगी होगी। नामांकन दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु निर्धारित समय की समाप्ति पर निर्वाचन पदाधिकारी समिति के सूचना पट्ट पर प्राप्त किए गए नामांकन दस्तावेजों की सूची लगाएगा। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात जो नामांकन दस्तावेज प्राप्त होंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

घ) निम्नलिखित स्थिति में कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह

i) मतदान करने का पात्र नहीं है,

ii) निर्धारित अधिनियम एवं इसके नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निदेशक मंडल का सदस्य या समिति का सदस्य प्रतिनिधि बनने का पात्र नहीं है; और

iii) निदेशक मंडल के सदस्य के चुनाव के लिए समिति की उप विधियों में निर्धारित आवश्यक अर्हताओं को पूरा न करता हो या अपेक्षित अर्हता न हो।

2. <u>नामांकन कौन दे सकता है:–</u>

i) केवल वे ही व्यक्ति नामांकन दे सकते हैं, जो **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि0,** द्वारा प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार सदस्य हैं।

ii) **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि0,** द्वारा प्रकाशित अंतिम वैध मतदाता सूची से इतर कोई भी व्यक्ति नामांकन नहीं भर सकता है।

iii) एक व्यक्ति एक पद के लिए अधिकतम दो (2) नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है।

iv) नामांकन देने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रस्तावक एवं एक समर्थक रहना आवश्यक है।

v) जो सदस्य किसी एक उम्मीदवार का प्रस्तावक है, वह दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं हो सकता है, किन्तु दूसरे उम्मीदवार का समर्थक हो सकता है। उसी प्रकार एक उम्मीदवार का समर्थक दूसरे उम्मीदवार का समर्थक नहीं बन सकता है, किन्तु किसी एक का प्रस्तावक बन सकता है।

3. <u>प्रस्तावक एवं समर्थक:–</u>

i) जिसका नाम **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि0,** द्वारा प्रकाशित अंतिम वैध मतदाता सूची में सम्मिलित है।

ii) जो व्यक्ति किसी पद के लिए स्वयं अभ्यर्थी है, वह उसी पद के लिए खड़े किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए प्रस्तावक या समर्थक नहीं बन सकता है।

श्याम

iii) कोई गलत सूचना देने अथवा गलत काम करने पर अभ्यर्थी का नामांकन अस्वीकृत होने के साथ–साथ अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक/समर्थक के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करने की कारवाई भी की जाएगी।

04. <u>नामांकन प्राप्त करते समय निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विषेष ध्यान देने योग्य बिन्दुः–</u>

i) नामांकन पत्र में कर्णाकिंत स्थानों पर अभ्यर्थी तथा उसके प्रस्तावक/समर्थक का हस्ताक्षर है अथवा नहीं।

ii) नामांकन पत्र में अभ्यर्थी, उसके प्रस्तावक एवं समर्थक के नाम तथा क्रमांक वही है जो मतदाता सूची में अंकित है।

iii) नाम/संख्या में लिपिकीय भूल को नजरअंदाज किया जायेगा।

iv) ऐसी लिपिकीय भूल को मतदाता सूची के अनुरूप शुद्व करने का आदेश दिया जा सकेगा।

v) अगर मतदाता सूची में ही कोई तुच्छ/असारभूत लिपिकीय भूल हो जैसे पूरा नाम से अंश या टाइटिल छूट गया हो तो निर्वाचन पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट हो लेने के पश्चात ऐसे नामांकन पत्र को प्राप्त करेगा।

vi) अगर नामांकन पत्र सही ढंग से नहीं भरा गया है तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसे संबंधित अभ्यर्थी को वापस करते हुए त्रुटियों को सुधारकर पुनः दाखिल करने का परामर्श दिया जाना चाहिए ताकि संवीक्षा के समय उक्त त्रुटियों के आधार पर नामांकन पत्र को रद्द करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अगर परामर्श दिए जाने पर भी अभ्यर्थी नामांकन पत्र को दुरूस्त करने के लिए तैयार नहीं हो तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र यथास्थिति प्राप्त किया जायेगा। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है जिसे निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निष्ठापूर्वक किया जाना चाहिए।

05. **<u>नामांकन–पत्रों की जांच</u>**

नामांकन–पत्र के दाखिले की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर नामांकन–पत्रों की जांच की जायेगी। जांच के समय प्रत्येक अम्यर्थी या उसका प्रस्तावक या उसका समर्थक उपस्थित रह सकेगा। निर्वाचन पदाधिकारी किसी अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक द्वारा जांच के क्रम में किसी नामांकन पर उठाई गई आपत्ति की जांच करेगा। आपत्ति के संबंध में आवश्यकतानुसार तथ्यों की संक्षिप्त जांच के बाद निर्वाचन पदाधिकारी उठाये गये आपत्ति के आलोक में अथवा स्वविवेक से जैसा वह नियमानुकूल समझे, नामांकन–पत्र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेगा।

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नामांकन नाम या अन्य विवरण संबंधी किसी लिपिकीय भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा, जो सारभूत न हो।

श्याम

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किसी नामांकन–पत्र के बारे में आपत्ति किये जाने पर या स्वप्रेरणा से आवष्यक छानबीन के उपरांत निम्नलिखित आधारों पर संबंधित नामांकन को अस्वीकृत किया जा सकेगा :–

i. अभ्यर्थी संगत अधिनियम, या नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी पद के लिए निर्वाचित किये जाने के अयोग्य है।

ii. प्रस्तावक या समर्थक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अयोग्य है।

iii. नामांकन पत्र में अंकित अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक के बारे में मतदाता सूची का क्रमांक संबंधित अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अंकित वास्तविक क्रमांक के अनुसार नहीं है। परन्तु मतदाता सूची के क्रमांक में या अन्य प्रविष्टियों में विसंगतियाँ रहने के बावजूद यदि निर्वाचन पदाधिकारी सन्तुष्ट हो जाता है कि नामांकन पत्र में उल्लिखित अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक वास्तव में वही व्यक्ति है, जिनका नाम दायर किये गये नामांकन पत्र में अंकित है, तो उस स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी इस प्रकार नामांकन पत्र को अस्वीकृत नहीं करेगा बशर्ते कि अभ्यर्थी, प्रस्तावक तथा समर्थक अन्यथा अयोग्य नहीं हैं। कहने का ताप्तर्य यह कि संबंधित अभ्यर्थी, प्रस्तावक एवं समर्थक की पहचान एवं योग्यता के बारे में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सन्तुष्ट होना सबसे महत्वपूर्ण है।

iv. नामांकन पत्र पर अभ्यर्थी या प्रस्तावक या समर्थक का हस्ताक्षर सही नहीं है या इस प्रकार हस्ताक्षर छलपूर्वक प्राप्त किया गया है।

उपर्युक्त तरीके से जांच के उपरान्त निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक नामंकन–पत्र पर आवश्यकतानुसार ''स्वीकृत'' या ''अस्वीकृत'' अंकित कर उस पर अपना हस्ताक्षर एवं तिथि अंकित करेगा। यदि किसी नामांकन को अस्वीकृत किया जाता है या किसी नामांकन–पत्र पर आपत्ति करने पर भी स्वीकृत किया जाता है, तो निर्वाचन पदाधिकारी इस प्रकार स्वीकृत या अस्वीकृति करने का आधार संक्षेप में अंकित करेगा, और उसके नीचे अपना हस्ताक्षर और तिथि अंकित करेगा।

भवदीय,

श्याम प्रसाद सिंह

(श्याम प्रसाद सिंह)

निर्वाचन पदाधिकारी,
स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ
को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि0,